UPJL010008632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 93/2026

श्रीमती केशकली आदि प्रति राज्य उत्तर प्रदेश

सत्र परीक्षण संख्या 30/2026
सरकार प्रति देवेन्द्र आदि
मुकदमा अपराध संख्या 241/2025
धारा 108, 85,भारतीय न्याय संहिता 2023
थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन।

11.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमती केशकली पत्नी घनश्याम व घनश्याम पुत्र रामलाल, निवासीगण ग्राम दाडी, थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 30/2026 सरकार प्रति देवेन्द्र आदि, मुकदमा अपराध संख्या 241/2025 धारा 108, 85, भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा संबंधित पत्रावली का परिशीलन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20.11.2025 को वादी मुकदमा रामचन्द्र द्वारा थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसने अपनी पुत्री आरती की शादी दिनांक 17.06.2017 को देवेन्द्र कुमार के साथ की थी और शादी में दिये गये दहेज से उक्त ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे तथा 1,00,000/–रूपये की अतिरिक्त दहेज के रूप में आये दिन मांग करते थे एवं उसकी पुत्री का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करते थे। उसकी पुत्री आरती से दो पुत्रियां पैदा होने के बाद उसका दामाद देवेन्द्र, सास केशकली, ससुर घनश्याम, देवर पवन व जितेन्द्र एवं ननद अन्नू पत्नी अजय व अजय और अधिक उत्पीड़न करने लगे एवं सभी ससुरालीजन लड़का पैदा न होने की वजह से उसकी पुत्री आरती को आये दिन ताने मारने लगे तथा प्रार्थी की पुत्री की हत्या का षडयंत्र रचने लगे व देवेन्द्र की दूसरी शादी करने की बात करने लगे। दिनांक 18.11.2025 को प्रार्थी की मृतक पुत्री आरती के देवर जितेन्द्र की शादी थी, जिसकी शादी समारोह में उपरोक्त सभी ससुरालीजन पति देवेन्द्र, ससुर घनश्याम, सास केशकली, देवर पवन व जितेन्द्र एवं ननद अन्नू पत्नी अजय, अजय पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम बिरगुवा एकत्रित हुये थे और दिनांक 17.11.2025 को शादी के एक दिन पूर्व ही सुबह करीब 4:30–5 बजे उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी की पुत्री व नाबालिग नातिनों पीहू व सृष्टि की ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाकर हत्या कर दी। उसको सुबह 7 बजे सूचना मिली तो वह व उसके परिवारीजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच पहुॅचे, जहां उसकी पुत्री व नातिन पीहू व सृष्टि की लाश पड़ी मिली। उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 20.11.2025 को ही थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन में अपराध सं0 241/2025 पर धारा 103(1), बी0एन0एस0 2023 के

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:33:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बाद विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर धारा 108, 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में इस आशय का अभिकथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की गयी, क्योंकि वादी द्वारा उसकी पुत्री की शादी के बाद से उत्पीड़न व अतिरिक्त दहेज मांगने के संबंध में किसी भी थाना व उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। दौरान विवेचना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों का अवलोकन पर यह पाया गया कि मृतका की बड़ी लड़की पीहू, जो अपनी दादी के पास सो रही थी, उसको अपने कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मृतका ने स्वयं आग लगाकर बच्ची सहित आत्महत्या की है। पंचायतनामा के समय वादी रामचन्द्र मौजूद था, लेकिन उसके द्वारा पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गयी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. ..मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन करा गया। मृतका आरती को उसके पति देवेन्द्र, ससुर घनश्याम व सास केशकली छोटी–छोटी बातों को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और इस प्रताड़ना से परेशान होकर आरती के द्वारा दिनांक 17.11.2025 को अपनी दोनों छोटी बच्चियों पीहू व सृष्टि के शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। केस डायरी में आरती तथा दोनों बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न है। आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु, मृत्यु पूर्व जलने की चोटों के कारण श्वांसावरोध होने की वजह से होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सात वर्षीय पुत्री पीहू की मृत्यु का कारण भी मृत्यु पूर्व जलने की चोट की वजह से श्वांसावरोध होने का उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है और तीन वर्षीय पुत्री सृष्टि के पोस्टमार्टम में भी मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व जलने की चोट की वजह से श्वांसावरोध होने का उल्लेख किया गया है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना साक्ष्य पर कोई टिप्पणी किये प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमती केशकली पत्नी घनश्याम व घनश्याम पुत्र रामलाल, निवासीगण ग्राम दाडी, थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 30/2026 सरकार प्रति देवेन्द्र आदि, मुकदमा अपराध संख्या 241/2025 धारा 108, 85, भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 93/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–11.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525